न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 288/22

प्रार्थीगण :–

1. ओमप्रकाश पुत्र कानाराम
2. घनश्याम पुत्र मांगीलाल
3. नवसरी पत्नी बींजराज
4. भीखराम उर्फ भीखसिंह पुत्र मांगीलाल
5. वरजू पत्नी मांगीलाल
6. विकास कुमार पुत्र मांगीलाल
7. हरीराम पुत्र कानाराम, सभी जाति [illegible] (खारवाल)निवासी पचपदरा, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी.ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

उपस्थित :– 1 श्री [illegible]सिंह वकील प्रार्थी
2 सरकारी पैरोकार विप्रार्थी

दिनांक :–30.1.2023

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 20:32:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के बदिशा दक्षिण मे कच्चा रास्ता ग्राम मंडापुरा के खसरा नम्बर 1144/283 क्षेत्रफल 5.0712 हैक्टेयर में आया हुआ है इसलिये प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 246 से कटान मार्ग खसरा संख्या 1144/283 क्षेत्रफल 5.0712 हैक्टेयर की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1126/208 क्षेत्रफल 7.3349 हैक्टेयर में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण संलग्न नजरी नक्शा में परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, खसरा संख्या 1126/208 क्षेत्रफल 7.3349 हैक्टेयर मे से 30 फीट रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित कराने का आवेदन प्रस्तुत किया है ।

आवेदन दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गयी। विप्रार्थीगण सरकारी पैरोकार उपस्थित । वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079–82 एवं विप्रार्थीगण की भूमि जिसमें से रास्ते की मांग की गयी प्रस्तुत की। आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में भू.अ.नि. पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी । भू.अ.नि. पचपदरा द्वारा दिनांक 09.01.2023 को मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गयी ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दौराने बहस प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु विप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1126/208, क्षेत्रफल 7.3349 हैक्टेयर में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता इकलौता एक मात्र विकल्प है, जिसकी प्रार्थीगण को अत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी आवेदन के संलग्न दिये नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी को गैरमुमकिन रास्तें के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है । प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि के बदले विप्रार्थीगण को डी.एल.सी दर की दुगनी राशि अदा करने हेतु सहमत है ।

विप्रार्थीगण सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में भू अभिलेख निरीक्षक पचपदरा द्वारा पत्र के संलग्न मौका फर्द दिनांक 09.1.2023 में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया कि ग्राम मंडापुरा के खसरा संख्या 246 मे आवागमन हेतु उपयुक्त व निकटतम रास्ता [illegible] /283 (नया रास्ते) तक खसरा संख्या 1126/203 मे से आवा[illegible] है जो कि [illegible] कब्जा मुमकिन भूमि है । रास्ते के प्रयोजनार्थ कुल 0.2230 हैक्टेयर भूमि रास्ते के प्रयोजनार्थ रहती है । भूमि की डीएलसी दर रूपये 175014 प्रति बीघा के अनुसार रास्ते हेतु भूमि के रूपये 308661 अक्षरे तीन लाख साठ हजार छः सौ इकसठ देय है । भूमि का नजरी मानचित्र पुश्त पर अंकित अनुसार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित एवं मौका जांच में प्रस्तावित रास्ते की स्थिति मे आंशिक अन्तर है जो राजकीय भूमि की हाल से मौका जांच मे प्रस्तावित रास्ता उपयुक्त है ।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा भू0अभिलेख निरीक्षक पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थी ग्राम मंडापुरा पटवार पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या खसरा नम्बर 246 क्षेत्रफल 1.3658 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं, जिस पर उनका कब्जा काश्त है। प्रार्थी के खातेदारी खेत एवं सडक के मध्य विप्रार्थी की उक्त भूमि अवस्थित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु विप्रार्थी की उक्त भूमि के मध्य अवस्थित रास्ते से गुजरना पडता है । भू.अ.नि पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है। जिसकी प्रार्थी को अत्यधिक आवश्यकता है । प्रस्तावित रास्ते में प्रभावित भूमि का 0.2230 हैक्टेयर है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 20:52:11 IST
Reason: SelfAttested

। विप्रार्थी की भूमि की डीएलसी दर 175014/– रूपये प्रति बीघा है। उक्त दर से रास्ते में प्रभावित भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि 308661/– रूपये बनती है, जो प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को अदा की जानी है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की संख्या खसरा नम्बर 246 क्षेत्रफल 1.3658 हैक्टेयर से सडक तक आवागमन हेतु ग्राम मंडापुरा के खसरा संख्या 1126/208, क्षेत्रफल 7.3349 हैक्टेयर में से, भू.अ.नि पचपदरा द्वारा दिनांक 9.01.2023 को प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शे में चिन्हित अनुसार क्षेत्रफल 0.2230 हैक्टेयर भूमि, प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि रूपये 308661/– राजकोष में जमा करवाये जाने पर, गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं । तहसीलदार पचपदरा को तद[illegible] संख्या 1126/208, क्षेत्रफल 7.3349 हैक्टेयर में से 0.2230 हैक्टेयर [illegible] का रा[illegible] गैरमुमकिन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में अमल दरामद कर राजस्व नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

भू.अ.नि पचपदरा द्वारा दिनांक 9.01.2023 को प्रेषित मौका फर्द में एवं प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 20:52:11 IST
Reason: SelfAttested